## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2017 का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के मुख्य राजस्व प्राप्ति विभागों के प्राप्तियों एवं व्यय के लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण परिणाम को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका, शामिल है। अवधि 2016–17 के बाद के प्रकरणों को जहां आवश्यक हो, सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 292.26 करोड़ है, जिसमें से ₹ 284.67 करोड़ अवनिर्धारण, अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि आदि प्रेक्षणों से संबंधित है, जो कि वर्ष 2016–17 के राज्य के कुल कर एवं कर–भिन्न राजस्व का 1.16 प्रतिशत था एवं ₹ 7.59 करोड़ अनियमित एवं परिहार्य व्यय से संबंधित था। विभागों द्वारा ₹ 48.75 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए ₹ 4.84 करोड़ की वसूली की गयी।

राशि ₹ 238.30 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें खनिज साधन विभाग के खनि पट्टों के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण (₹ 177.60 करोड़) एवं अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली (₹ 42.30 करोड़) सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रेक्षण सम्मिलित हैं:

1. लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खनिज साधन विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान के विरूद्ध वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान अधिक था।

   प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 के धारा 18(1)(ख) एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के विनियम 181 में विनिर्दिष्ट अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा।

2. वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बकाया राजस्व का डाटाबेस का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण इन विभागों द्वारा विभिन्न चरणों पर लंबित बकाया राशि की वसूली का विवरण प्रदाय नहीं किया जा सका। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदाय वर्ष 2016–17 के बकाया राजस्व के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि बकाया के प्रारंभिक शेष के आंकड़े पिछले वर्ष 2015–16 के अंत शेष से मिलान नहीं हो रहे थे। खनिज साधन विभाग उन्हीं प्रकरणों को बकाया मानती है जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं एवं विभाग के पास

वास्तविक बकाया राजस्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। विभागीय आंकड़े वास्तविक नहीं है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 की स्थिति में सात विभागों से बकाया राशि ₹ 2,698.93 करोड़ अप्राप्त रहे, जिसमें से राशि ₹ 975.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अप्राप्त है।

3. राजस्व अर्जित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित सम्भावी राजस्व ₹ 6,868.16 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को संबोधित करने में विफल रहा।

4. पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को 98 प्रकरणों के नस्तियां/अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो कि विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं गबन के सम्भाव्य कूटसंधि जैसे खतरों का सूचक है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी।

5. लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प तथा पंजीकरण, भू–राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 85 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा माह अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा करों एवं शुल्कों का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 38,881 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 2,913.82 करोड़ की अनियमितातायें देखी गयी। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 13,669 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 178.95 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,194 प्रकरणों में राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गयी।

## पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना

6. यद्यपि खनिज साधन विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं एवं निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006–07 के 93वां प्रतिवेदन वर्ष 2011–12) के परिपालन में खदानों के निष्क्रिय होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये, पर विभाग ने खदान निष्क्रिय न हो, यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया।

7. लोक लेखा समिति द्वारा संदेहास्पद फार्म 'एफ' के माध्यम से कर के अनारोपण में त्वरित कार्यवाही करने एवं कर वसूल किये जाने के निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 पर 22वां प्रतिवेदन वर्ष 2014–15) का पालन करने मे वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 पर 81वां प्रतिवेदन, 2010–11) पर आवृत्त के गलत निर्धारण के मामले में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर पालन किया गया परन्तु समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

8. लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं (46वां प्रतिवेदन 2009–10, 56वां प्रतिवेदन 2009–10 एवं 96वां प्रतिवेदन 2011–12) के बकाया कर की वसूली जल्द करने एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा कुल कर एवं शास्ति ₹ 5.48 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.08 करोड़ की वसूली कर ली गई एवं लोक लेखा समिति द्वारा 46वां एवं 56वां प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के पालन में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

प्रारंभ कर दी गयी है। इसके बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये समान प्रेक्षण, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दोहराने के लिए रोकथाम हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है।

9. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अनाज से शीरा तैयार करने के मानक बनाने हेतु लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 का 8वां प्रतिवेदन, 2014–15) का पालन करने में विफल रहा।

## खनिज प्राप्तियाँ

10. खनिज साधन विभाग में मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय पर रायल्टी का अनारोपण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण, अनिवार्य भाटक की अवसूली/कम वसूली, खनन क्षेत्रों के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) में योगदान की राशि की कम वसूली एवं अधोसरंचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली के कारण ₹ 256.34 करोड़ की कम प्राप्ति देखी गयी।

## वाणिज्यिक कर

11. वाणिज्यिक कर विभाग में प्रतिदाय के भुगतान में अत्यधिक विलंब में सन्निहित ब्याज की राशि ₹ 93.91 लाख के भुगतान का दायित्व, ₹ 4.19 करोड़ के आगत कर रिबेट का त्रुटिपूर्ण अग्रणित होना, प्रतिदाय राशि ₹ 3.63 करोड़ का गलत मान्य किया जाना, मालों के गलत वर्गीकरण से कर ₹ 4.64 करोड़ का अवरोपण एवं कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण देखा गया।

## वाहन कर

12. परिवहन विभाग ने 2,263 वाहन स्वामियों से बकाया कर ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.31 करोड़ प्राप्त नहीं किया।

## राज्य उत्पाद

13. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा आबकारी दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के बकाया का अनियमित समायोजन बैंक गारंटी की राशि ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा राशि ₹ 2.13 करोड़ से किया गया।

## वानिकी तथा वन्य प्राणी

14. वन विभाग में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना वाटर बाऊन्ड मैकेडम (डब्लू.बी.एम.) सड़कों के निर्माण पर राशि ₹ 2.33 करोड़ का व्यय करना, असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण पर राशि ₹ 2.03 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं बिना खुली निविदा प्रक्रिया के राशि ₹ 3.23 करोड़ का भण्ड़ार सामग्रियों का क्रय किया जाना पाया गया।